

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अ' संख्या 421

[20/2/2019]

विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 19-19/2018/1/4 :: राज्य शासन एतद द्वारा मंत्रि-परिषद द्वारा दिनांक 29 मई 2018 को लिये गये निर्णय अनुसार राज्य की (क) अभियांत्रिकीय, चिकित्सा तथा अन्य वरिष्ठ प्रबंधकीय सेवाओं (ख) ग्रामीण स्तर की कार्यपालिका सेवाओं के सदस्यों (ग) होमगार्ड के कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डर विकान खण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं आबकारी विभाग के उप अंकेक्षक सहित, अन्य पदों के वेतनमान संबंधी विषयों की समीक्षा करने के लिये अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार अंतर्विभागीय समिति का गठन करता है :-

		अध्यक्ष
1	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
2	अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव, तन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य सचिव

2. उपर्युक्त समिति, विभिन्न सेवाओं के साथ सापेक्षता को विचार में रखते हुए अनुशंसाएँ करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Arath 04/07/18
(डॉ अमिताभ अवरथी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

अ

निरंतर.....2